बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या–1/पी0–101/2009 (खण्ड)– 516 पटना, दिनांक– 2.6.16

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अभियंत्रण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों, जिनका पूर्ण स्थापना और प्रशासनिक नियंत्रण विभाग में सन्निहित है, को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 तथा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4685 वि0 (2) दिनांक–25.06.2003 एवं 1802 दिनांक–23.03.2006 तथा 7549 दिनांक–13.07.2010 एवं 7566 दिनांक–14.07.2010 के आलोक में पूर्व से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–192, दिनांक–09.04.2014 द्वारा गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार पुनर्गठित किया जाता है :–

1. प्रधान सचिव/सचिव,
   लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
   बिहार, पटना –अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव,
   पथ निर्माण विभाग,
   बिहार, पटना –सदस्य
3. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव,
   लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
   बिहार, पटना –सदस्य
4. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
   भवन निर्माण विभाग,
   बिहार, पटना –सदस्य
5. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनित एक पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों। –सदस्य
6. संयुक्त सचिव (आंतरिक वित्तीय सलाहकार),
   लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
   बिहार, पटना –सदस्य
7. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी –सदस्य
8. अल्पसंख्यक समुदाय के मनोनित कोई एक पदाधिकारी –सदस्य

2. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश/संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ बिहार लोक सेवा आयोग एवं सभी संबंधितों को भी दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः

New note/letter/

ज्ञापांक–1/पी0–101/2009 (खण्ड) – 416 /पटना, दिनांक– 2.6.16

प्रतिलिपिः– ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–1/पी0–101/2009 (खण्ड) 416 /पटना, दिनांक– 2.6.16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार /प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अभियंता प्रमुख–सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संयुक्त सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–1/पी0–101/2009 (खण्ड) 416 /पटना, दिनांक– 2.6.16

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

New note/letter/